सेना प्रमुख के कार्यकाल का विस्तार

[स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स]

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली **कैबिनेट की नियुक्ति समिति** (**Appointments Committee of Cabinet- ACC**) ने **वर्तमान** सेनाध्यक्ष (Chief of the Army Staff- CoAS) जनरल मनोज पांडे को एक माह का सेवा विस्तार प्रदान किया है।

- CoAS, **सेना प्रमुख** के रूप में कार्य करता है और सेना से संबंधित मामलों पर **रक्षा मंत्रालय को सलाह** देता है तथा **भारत के राष्ट्रपति** के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है।
- पाँच दशकों में इस प्रकार के केवल दो सेवा विस्तार दिये गए हैं; पहला **जनरल GG बेवूर** को, जिन्होंने वर्ष 1973 में फील्ड मार्शल **SHFJ मानेकशॉ** के सेवानिवृत्त होने के पश्चात सेना प्रमुख का पद संभाला था।
- ACC ने **सेना नियम 1954 के नियम 16 A(4)** के तहत वर्तमान सेना अध्यक्ष (CoAS) के सेवा के विस्तार को उनके सामान्य कार्यकाल से अधिक एक माह के लिये मंज़ूरी दी, जो **"सेवाओं की अनिवार्यताओं"** के आधार पर अधिकारियों को बनाए रखने से संबंधित है जिस पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार लेती है।
  - CoAS, **भारतीय सेना में सर्वोच्च रैंकिंग वाला अधिकारी होता है,** जिसे ACC द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- **CoAS नियुक्ति के तीन साल बाद अथवा 62 वर्ष की आयु में, जो भी पहले हो, सेवानिवृत्त हो जाता है।**

और पढ़े: भारत में रक्षा एकीकरण को आगे बढ़ाना

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/extending-tenure-of-current-army-chief